Indian Streams Research Journal
Volume 2, Issue. 6, July 2012
ISSN:-2230-7850

Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

सरिता

शोधार्थी,
सी एम जे विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)
sharma_girdhar@yahoo.co.in

प्रस्तावना :–

शिक्षा के द्वारा मनुष्य को समाज के लिये उपयोगी बनाया जाता है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को सभ्य बनाया जाता है अर्थात उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। उसकी आदि काल से चली आ रही हिंसक प्रवृति को कम करके सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने अन्तर्निहित उन शक्तियों को विकसित करता है जिनसे वह सफलता प्राप्त करने में सहायता लेता है।

'शिक्षा तो एक प्रकार की 'चेतना' है जिसे मनुष्य स्वयं प्राप्त करता है। आदिकाल से मनुष्य सीखता चला आ रहा है और उसने जो कुछ सीखा, उसे शिक्षा का रूप दिया – शिक्षा मानव समाज की संचित सीख है जिसे परम्परा और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य ग्रहण करता है।'

शिक्षा से व्यक्ति के जीवन को गति मिलती है। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है। शिक्षा का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि समाज की उन्नति हो, समाज के लिये ऐसे नागरिक तैयार हों जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, जीवन को सुखमय बनायें व आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल करे।

लेकिन समाज की ओर ध्यान देकर यदि शिक्षा का स्वरूप देखें तो यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। सामाजिक परिस्थितियों के इतिहास का अध्ययन किया जाये या वर्तमान को भी देखा जाये तो समाज देश, धर्म, जाति, रूप, रंग के भेदों के आधार पर बंटा हुआ है। वर्तमान में इन परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा का स्वरूप तय होता है। यदि कोई धर्म विशेष को मानने वाला यह समझे कि उसके धर्म को मानने वाले समस्त विश्व पर शासन करने के अधिकारी हैं तो यह समाज के लिये घातक है, और यह उस धर्म विशेष को मानने वालों को उचित शिक्षा के अभाव में समझा दिया जाता है। केवल धर्म ही नहीं जाति, देश, रंग आदि के कारण भी उक्त सामाजिक संकट पैदा हो सकता है जो सम्पूर्ण विश्व समाज के लिये घातक है। ऐसे संकट उचित शिक्षा के अभाव में पैदा होते हैं।

शिक्षा समाज में शान्ति बनाये रखने, युद्ध न होने देने, सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार देने के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा के क्या उद्देश्य हो – यह बात विश्व शांति की ओर पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पेट पालना बनाना अनुचित है। इससे मनुष्य का मानसिक व नैतिक विकास अवरूद्ध हो जायेगा। नैतिकता की शिक्षा के अभाव में सम्पूर्ण का अहित होगा। आज जो भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरूपयोग आदि बहुतायत में दृष्टिगोचर हो रहा है नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण ही है। अतः शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान करना है उसे 'वैसुधैव कुटुम्बकम' की दिशा में नैतिक मूल्यों के विकास करने वाली बनाना अत्यावश्यक है।

वर्तमान में समाज में लोकतन्त्र की भावना व्याप्त है। प्रसिद्ध विचारक हक्सले का कथन – अगर आपका ध्येय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र है तो आप लोगों को स्वतन्त्र होने और अपना शासन आप करने की कला सिखाइये।' लोकतान्त्रिक समाज में शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। लोकतन्त्र में चूंकि शासन जनता ने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करना है तो यदि वे शिक्षित हुए तो उचित निर्णय ले सकेंगे या उचित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। यह वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिये देश व विश्व के परिपेक्ष्य में हितकर होगा अन्यथा अशिक्षित व्यक्तियों के निर्णय के दुष्परिणाम तो सभी को भुगतने होंगे।

समाज में शिक्षा कैसी हो?यह परिस्थिति और काल पर निर्भर करता है। जहां जहां जब जब शिक्षा की दिशा को दूरगामी अर्थात भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया वहां की संस्कृति व समाज की शांति व उत्तमता को बनाए रखना कठिन नहीं रहा।

प्राथमिक शिक्षा –

यह आधुनिक मनोविज्ञान का मान्य सिद्धान्त है कि बचपन में सीखी गयी बातें, बचपन में बनायी गयी आदतें सम्पूर्ण जीवन नहीं भूलती, नहीं

Please cite this Article as : *सरिता* , *देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति* : Indian Streams Research Journal (July ; 2012)

बदलती। यही वह समय होता है जब समाज के लिये नागरिक बनने की नींव पड़ती है। यह शाश्वत सत्य है कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है अर्थात समाज के लिये घातक प्रवृति का व्यक्ति जन्म से नहीं होता अपितु उसे परिस्थितियां बना देती हैं। ऐसी परिस्थितियां अशिक्षा या उचित शिक्षा के अभाव के कारण पैदा होती हैं इसका अर्थ हुआ कि जब समाज आज मनुष्य की अपराधिक प्रवृति के दुष्परिणामों को झेल रहा है उसे उचित शिक्षा के प्रसार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसलिये प्राचीन काल से ही शिक्षा संबंधी विद्वान इस समय अर्थात 6–14 वर्ष की आयु के बालकों को समाजोपयोगी शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान देने के पक्ष में रहे हैं। इस समय प्राप्त दिशा में चलकर शिक्षार्थी भविष्य के लिये अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हो सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है– 'मेरी दृष्टि में छोटे बच्चों की शिक्षा – जिसको हम पूर्व बुनियादी शिक्षा कहते हैं; कुटुम्बों में ही होनी चाहिए। मातापिता ही बच्चे के प्रथम गुरू हैं और दूसरे गुरूओं से अनका अधिकार भी श्रेष्ठ है बशर्ते कि वे शिक्षण की योग्यता रखते हों.....' प्राथमिक शिक्षा के लिये आवश्यक है कि बालक के मातापिता भी पूर्ण शिक्षित हों। लेकिन अभी तो यह स्थिति नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो बालक को स्वस्थ व सर्वांगीण विकास करना है। साथ साथ उसकी भावनाओं का विकास इस प्रकार करना है कि वह राष्ट्रीय हित में एक स्वस्थ, जागरुक नागरिक के रूप में तैयार हो सके।

ध वैदिक काल में जब गुरूकुल प्रणाली को अपनाया जाता था तथा जहां व्यक्तित्व के सर्वांगींण विकास पर बल दिया जाता था। उस समय व्यवस्था थी कि शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक अपने माता–पिता, अपने शहर से दूर रहकर शैक्षिक प्रयोगशाला के वातावरण रूपी गुरूकुल में गुरू तथा गुरूपत्नी के साथ रह कर संपूर्ण समय अध्ययन कर विद्यापार्जन किया करते थे।

प्राथमिक शिक्षा के रूप में बालक का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास कर उसे सत्य से साक्षात्कार करवाया जाता था। श्रवण और मनन के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती थी। जीवनोपयोगी शिक्षा के साथ साथ भिक्षावृत्ति का भी आदेश दिया जाता था जिससे शिक्षार्थियों में विनम्रता एवं सामाजिकता की भावना का उदय होता था। गुरू के संतुष्ट होने पर शिक्षार्थी को समाज में लौटने की अनुमति प्रदान की जाती थी।

ध ब्राह्मणकालीन शिक्षा में गुरू का अत्यधिक महत्व था जिसमें गुरू शिष्यों को सक्रिय रखकर वार्तालाप के द्वारा मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। इस समय शिक्षण पद्धति निःशुल्क एवं वैयक्तिक थी। शिष्य गुरू के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर समाज के लिये उपयोगी शिक्षा ग्रहण करते थे।

ध बौद्धकालीन शिक्षा का उदय वेदों पर ब्राह्मणों के आधिपत्य के कारण कर्मकाण्डों में समाज उलझता प्रतीत होने पर हुआ। इस शिक्षा में अहिंसा, सत्य एवं सदाचार पर बल दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में बालक–बालिकाओं को पढ़ना लिखना, प्रारम्भिक गणित तथा धार्मिक आचार की शिक्षा दी जाती थी। प्रारम्भिक व्याकरण का भी प्रमुख स्थान रखा था।

बाद में धीरे धीरे विदेशी आक्रान्तकारियों का भारत पर आक्रमण हुआ तो मध्यकालीन शिक्षा के रूप में इस्लामी शिक्षा का उदय हुआ। इस शिक्षा में मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार था। प्रारम्भिक शिक्षा 'मकतबों' में दी जाती थी। इसके प्रधान 'आलिम' होते थे। इसमें विस्मिल्लाह संस्कार के बाद शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन के बालकों को कुरान की भूमिका सुनाकर बालक से 'विस्मिल्लाह' शब्द कहलवाया जाता था। मकतबों में आसपास के शिक्षार्थी आते थे जिन्हें मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाती थी। प्राथमिक शिक्षा में सर्वप्रथम बालकों को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था। उच्चारण की शुद्धता एवं व्याकरण के नियमों को कंठाग्र करने पर अधिक जोर दिया जाता था। नैतिकता के विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। अंकगणित, पत्र कला का भी पाठ्यक्रम में स्थान था। राजकुमारों एवं सूबेदारों के बच्चों को राजमहल में सैनिक शिक्षा के साथ साथ न्याय करने के लिये कानून की शिक्षा भी दी जाती थी।

ब्रिटिश काल में भारत में प्राथमिक शिक्षा –

1813 ई. के आज्ञा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय शिक्षा का आंशिक दायित्व प्राप्त किया था जिसे बाद में 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपने ऐतिहासिक विवरण पत्र को पेश किया जिसमें मैकाले ने भारतीय धर्म, भारतीय साहित्य, शिक्षा संस्थानों का स्पष्ट विरोध कर अंग्रेजी व ईसाई धर्म को

•जो आर्थिक सहायता राज्य की ओर से प्राइमरी शिक्षा के लिये विभिन्न प्रान्तों को दी जाये उसे सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों की देखरेख और नॉर्मल स्कूलों के उचित संरक्षण पर व्यय किया जायेगा।

1913 ई. की नई शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न प्रयासों का उल्लेख था। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करने का सुझाव था एवं पाठ्यक्रमों को उपयोगी बनाने की दिशा में विशेष प्रयत्न करने पर बल दिया गया। साथ ही बालिकाओं हेतु पृथक पाठ्यक्रम बनाने की बात कही गयी।

बड़ौदा महाराज सायजी राव गायकवाड़ ने 1893 से 1906 तक अपने सारे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू किया। इन्हीं प्रयासों से प्रभावित होकर 16 मार्च 1911 को गोखले ने देश भर में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का विधेयक 'केन्द्रीय धारा सभा' के समक्ष प्रस्तुत किया जोकि पारित न हो सका। बाद में 1918 में पटेल अधिनियम (विठ्ठल भाई पटेल) या 'बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून' के माध्यम से बम्बई में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य घोषित हुई। धीरे धीरे यह सम्पूर्ण भारत में फैल रहा था परन्तु 1931 से 1937 के बीच हरटॉग कमेटी के निर्माण और स्थानीय बोर्डों की उदासीनता के कारण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में धीमापन आ गया।

हरटॉग कमीशन (Hartog Commission) – इस कमीशने के अध्यक्ष सर फिलिप हरटॉग थे। इस कमीशन की नियुक्ति 1928 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट 1929 के सितम्बर मास में प्रकाशित हुई। जिसमें सर हरटॉग के प्राथमिक शिक्षा के प्रति विचार थे–

•सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रणाली नीरस है और इसमें 'शक्ति क्षय' (Wastage) है। शिक्षार्थियें में साक्षरता की दर इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वे विचार पूर्वक मतदान कर सके। .... जिस गति से प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों की संख्या में बढोतरी हो रही है, उस गति से साक्षरता का प्रसार नहीं हो रहा है। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के थोड़े शिक्षार्थी ही साक्षरता मान की चौथी श्रेणी तक शिक्षा पाते हैं। बहुत से शिक्षार्थी निश्चित अवधि के पूर्व ही प्राथमिक स्कूल को छोड़ देते हैं। इसी को ठहराव दर में कमी या शक्ति क्षय यॉजंहम कहते हैं।

•ेंजंहम बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में संख्या अत्यधिक है। जिस गति और संख्या में बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं उस गति और संख्या में बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करती हैं।

1937 में शिक्षाविद् वुड ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के प्रति अपने निम्न विचार दिये –

•छोटी कक्षाओं में शिक्षण कार्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए।
•बालकों की शिक्षा का आधार पुस्तकें न होकर प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए।
•पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालक के वातावरण से होना चाहिए।

महात्मा गांधी के 'हरिजन' पत्रिका में प्रकाशित विचारों के आधार पर वर्धा शिक्षा योजना में 7–14 वर्ष की आयु के बालक–बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की सिफारिश की गयी। जिसे मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाये।

1944 में सार्जेंट कमीशन ने भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सुझाव प्रेषित किया था। जिसका माध्यम मातृभाषा रखने की बात कही गयी।

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा –

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हेतु अनेक उपाय किये गये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये सरकार को निर्देशित किया गया है। शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये समय समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। इनमें शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है अर्थात शिक्षा प्रदान करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों का होगा। तथा कई आयोगों का गठन, कई संगठनों एवं संस्थाओं की स्थापना एवं विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन भी किया गया है। इनमें से प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये निम्न प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है–

•1957 में बनी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् जिसकी स्थापना का उद्देश्य सभी 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना था। जिसे बाद में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के साथ मिला कर 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में बदल दिया गया।
•1964 में गठित दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में बने कोठारी आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर सुधार लाने हेतु 1966 में सरकार को सुझाव प्रेषित किये।
•1968 में शिक्षा को समुचित आधार प्रदान करने के लिये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।
•1979 में 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल के बाहर के बालकों को अल्प अवधि शिक्षा की व्यवस्था उनकी सुविधा के समय पर प्रदान करने के लिये अनौपचारिक शिक्षा योजना बनायी गयी।
•दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को विकसित करने हेतु दिशा निर्देश देना था। जिसे बाद में 1992 में संशोधित शिक्षा नीति के तहत सुधारा गया।
•1987 में देश के प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने के लिये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया।
•1988 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) का केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु उदय हुआ।
•1988 में ही प्राथमिक शिक्षा हेतु 'सम्पूर्ण साक्षरता अभियान' (TLP) को प्रारम्भ किया गया।
•1991 में न्यूनतम अधिगम स्तर (MLL) कार्यक्रम भाषा और गणित में मूलभूत कमियों को दूर करके पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने के लिये प्रारम्भ किया गया।
•1992 में बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के उद्देश्य से सुझाव लेने हेतु सरकार ने डॉ. यशपाल समिति का गठन किया।
•1994 में देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को सुनिश्चित करने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) को प्रारम्भ किया गया।
•1995 में प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के ठहराव को प्रोत्साहित करने के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था विद्यालय में ही करने की मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की गयी।
•1999 में जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं थे उनमें ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को खोलकर शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा गारंटी स्कीम को प्रारम्भ किया गया।
•विद्यालयों से बाहर सभी बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करने के उद्देश्य से सन् 2000 में 'सर्व शिक्षा अभियान' कार्यक्रम चलाया गया।
•नया मिलेनियम पाठ्यक्रम वर्ष 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा नवम्बर माह में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की बदलते परिवेश के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु चलायी गयी योजनाएं –

•शिक्षा कर्मी योजना – 1987
•लोक जुम्बिश – 1992 से स्वीडन के सहयोग से गतिमान।
•सरस्वती शाला योजना – 1994–95
•बालिका शिक्षा फाऊंडेशन – 1994
•गुरू मित्र योजना – 1994
•जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – 1994
•शाला प्रवेशोत्सव – 1996–97
•जन शाला – 1999 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र(जयपुर, अजमेर, भरतपुर व किशनगढ़) की कच्चीबस्तियों के बालक–बालिकाओं को शिक्षा के दायरे में लाना है।
•डॉ. राधाकृष्णन पाठशाला (पूर्व नाम–राजीव गांधी स्वर्णजयन्ति पाठशाला) – 1999
• मिड–डे–मील कार्यक्रम – 1995

इसके बाद वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कानून हमारे सामने है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों एवं कानूनी प्रयासों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आवश्यकता केवल इस बात की है कि सामाजिक प्रयासों एवं अधिकारियों एवं नागरिकों के सकारात्मक रुख की। इससे ही देश में प्राथमिक शिक्षा से काली छाया हटेगी तथा देश शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर होगा।